रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128 REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थागार CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA भारत सरकार 13.1.88

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 5, 1987/अग्रहायण 14, 1909
No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 5, 1987/AGRAHAYANA 14, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम, जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules including Orders, Bye-laws etc. of a general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1987

शुद्धिपत्र

सा०का०नि० 898.—भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 558 तारीख 2 जून, 1987 में जो भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3 उप-खंड (1) तारीख 25 जुलाई, 1987 को पृष्ठ 1883 से 1898 पर प्रकाशित हुई है।

(क) पृष्ठ 1884 पर स्तम्भ 13 में पंक्ति 6 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें, अर्थात् :—

"टिप्पण : पुष्टि से संबन्धित विभागीय समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।"

(ख) पृष्ठ 1885 पर,

(i) स्तम्भ 8 में—

पंक्ति 6 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें—

"या

सात वर्ष तक राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य रहा है।"

(ii) पंक्ति 8 और पंक्ति 9 के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ें—

"राज्य के विधि विभाग में 7 वर्ष तक पद धारण किए हो या केन्द्रीय सरकार का सेवक जिसे विधि कार्य में 7 वर्ष का अनुभव हो।"

(ग) पृष्ठ 1886 पर स्तम्भ 12 पंक्ति 12 में "स्तम्भ 7" के स्थान पर "स्तम्भ 8" पढ़ें :

(घ) पृष्ठ 1884 पर स्तम्भ 12, पंक्ति 11 में "स्तम्भ 7" के स्थान पर "स्तम्भ 8" पढ़ें।

(ङ) पृष्ठ 1890 पर

(i) स्तम्भ 12 में पंक्ति 4 (पैरा ख) में "स्तम्भ 7" के स्थान पर "स्तम्भ 8" पढ़ें।

[सं. ए. 12018(4)/86-प्रशा. III वि.का.]

एस. एन. धीर, अवर सचिव

87/1662 GI—1

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13		14
Not applicable.	For Confirmation		Not applicable.
	1. Vice Principal	— Chairman	
	2. Professor of Surgery	— Member	
	3. Lecturer in Dentistry	— Member	
	4. Deputy Medical Superintendent	— Member	
	5. Chief Administrative Officer.	— Member	

[No. A-12018/150/85-RR-ME(UG)]

S. S. JINDAL, Desk Officer.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली 12 अक्तूबर, 1987

सा. का. नि. 909.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन दूरदर्शन की विभिन्न इकाइयों में समूह "क" और समूह "ख" कार्यक्रम (तकनीकी कैमरा पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरदर्शन कार्यक्रम (तकनीकी कैमरा) समूह "क" और समूह "ख" भर्ती नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना : ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद/पदों को लागू होंगे ।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद/पदों की संख्या, उसका/उनका वर्गीकरण और उसका/उनके वेतनमान वह होगा/वे होंगे जो इससे इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद/पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे/उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों का प्रारंभ में विचार किया जाना : ऐसा अधिकारी जो संविदा के आधार पर कैमरामैन श्रेणी 1 या कैमरा मैन-श्रेणी 2 का पद धारण कर रहा था और जिसने सिविल पद ग्रहण करने का विकल्प दिया है के बारे में, प्रारंभ में छानबीन समिति/संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विचार किया जाएगा । यदि उसे योग्य समझा जाता है तो वह उस पद पर इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से नियुक्त किया गया समझा जाएगा । यदि उसे योग्य नहीं समझा जाता है तो उसके मामले पर प्रत्येक वर्ष तब तक पुनर्विलोकन किया जाएगा जब तक कि एक कर्मचारी के रूप में संविदा पर उसकी अवधि का अवसान नहीं हो जाता । यदि संविदा के अवसान से पूर्व अधिकारी को छानबीन समिति/संघ लोक सेवा आयोग द्वारा योग्य नहीं समझा जाता है तो उसकी सेवा संविदा के निबंधनों के अनुसार उसकी पर्यवासित किए जाने के उत्तर दायित्वाधीन होगी ।

6. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

7. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकर द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची
(संलग्न है)

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
वीडियो कार्यकारी	17* 1(1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" (राजपत्रित अननुसचिवीय	3000-100-3500-125-4500 रु.	चयन	लागू नहीं होता	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष

कथ 1

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतर द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा	प्रोन्नति : ऐसा कैमरामैन श्रेणी 1 जिसने उस श्रेणी में 7 वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर ऐसा कैमरामैन श्रेणी 1 जिसने कैमरामैनों श्रेणी 1 और श्रेणी 2 दोनों को मिलकर 13 वर्ष सेवा की है जिसमें से 4 वर्ष की नियमित सेवा कैमरामैन श्रेणी 1 के रूप में की हो । टिप्पण : उस श्रेणी के सिविल पद में संपरिवर्तन से ठीक पहले संविदा के आधार पर कैमरामैन श्रेणी 1 के रूप में निरंतर की गई सेवा, कैमरामैन श्रेणी 1 के रूप में सेवा की संगणना के लिए गणना में ली जाएगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण कर रहे हैं ; (ii) जिन्होंने 2375-3500 रु. के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 7 वर्ष नियमित सेवा की है । (ख) जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से चल-चित्रिकी में डिग्री/डिप्लोमा हो या जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के अधीन चलचित्र फोटोग्राफी का 3 वर्ष का अनुभव हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी विभाग या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले किसी अन्य काडर वाले पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
क. समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. अपर महानिदेशक/उप महानिदेशक (कार्मिक) दूरदर्शन महानिदेशालय —सदस्य ख. समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1. अपर महानिदेशक, दूरदर्शन —अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक (कार्मिक) दूरदर्शन —सदस्य 3. निदेशक (दूरदर्शन)/उप सचिव (दूरदर्शन) —सदस्य टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग से अनुमोदनार्थ भेजी जाएगी किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	प्रोन्नति करते समय या प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण पर नियुक्ति के लिए किसी अधिकारी का चयन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
कैमरामैन श्रेणी 1	52* (1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित अननुसचिवीय	2375-75-3200 रु. रो.-100-3500 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष

11	12
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति :--ऐसा कैमरामैन श्रेणी 2 जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण :--उस श्रेणी के सिविल पद में संपरिवर्तन से ठीक पहले संविदा के आधार पर कैमरामैन श्रेणी 2 के रूप में की गई निरंतर सेवा कैमरामैन श्रेणी 2 के रूप में सेवा की संगणना के लिए गणना में ली जायेगी।

13		14
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।
1. अपर महानिदेशक, दूरदर्शन	--अध्यक्ष	
2. उप महानिदेशक (कार्मिक) दूरदर्शन	--सदस्य	
3. कार्यक्रम नियंत्रक दूरदर्शन	--सदस्य	
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)		
1. उप महानिदेशक, कार्मिक दूरदर्शन	--अध्यक्ष	
2. कार्यक्रम नियंत्रक, दूरदर्शन	--सदस्य	
टिप्पण:--पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियाँ, संघलोक लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी ।		

1	2	3	4	5	6	7
कैमरा मैन श्रेणी 2	295* (1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित अननुसचिवीय	रुपये 1640-60-2600-द.रो.-75-2900	लागू नहीं होता	नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण:--आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत अंतिम तारीख होगी ।

8	9	10
आवश्यक:-- (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से चलचित्रकी में डिप्लोमा या डिग्री या समतुल्य । वांछनीय:-- चलचित्र फोटोग्राफी में 2 (दो) वर्ष का अनुभव टिप्पण:--अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	लागू नहीं होता	

11	12
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

13	14
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1. उप महानिदेशक दूरदर्शन —अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक (कार्मिक) दूरदर्शन —सदस्य 3. कार्यक्रम नियंत्रक, दूरदर्शन —सदस्य टिप्पण:—पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी। —कख-सू	

[सं० 501/1/87-टी. बी. (ए.)]

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 12th October, 1987

G.S.R. 909.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules to regulate the recruitment to Group 'A' and Group 'B' Programme (Technical-Camera) posts in various units of Doordarshan under the Ministry of Information and Broadcasting, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Doordarshan Programme (Technical-Camera) Group 'A' and Group 'B' Recruitment Rules 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts mentioned in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, their classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. Persons working on contract to be considered initially.—An Officer who was holding the post of Cameraman Grade-I or Cameraman Grade-II on contract basis and who has opted for joining the civil post shall be initially considered by the Screening Committee/Union Public Service Commission. In case he is considered fit he will be deemed to have been appointed to the post on and from the date of commencement of these rules. If he is not considered fit, his case will be reviewed every year till his term as an employee on contract expires. If before the expiry of the contract the Officer is not considered fit by the Screening Committee/Union Public Service Commission, his service will be liable to be terminated as per the terms of the contract.

6. Disqualification.—No person,—

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(ii) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and hat there are other grounds for s odoing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment rules for Video Executive in Doordarshan in Ministry of Information & Broadcasting

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
Video Executive	17* (1987) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' (Gazetted) Non-Ministerial.	Rs. 3000-100-3500-125-4500.	Selection	N.A.	No	N.A.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of Rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
9	10	11	12	13	14
N.A.	2 years	By promotion failing which by transfer on deputation	Promotion : Cameraman Grade I with 7 years regular service in the grade failing which Cameraman Grade I with 13 years of service in the grade of Cameraman Grade I and Grade II combined together, out of which 4 years regular service as Cameraman Grade-I. NOTE: The continuous service rendered as Cameraman Grade-I on contract basis immediately proceeding the conversion of the grade into civil post will be taken into account for calculation of the service as Cameraman Grade I. Transfer on deputation : Officers under the Central/State Government:— (a) (i) holding analogous posts on a regular basis; (ii) with 7 years regular service in posts in the scale of Rs. 2375-3500 or equivalent. (b) possessing a degree/diploma in Cinematography from a recognised institute, or possessing 3 years experience in motion picture photography under a recognised institute. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department on the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years)	A. Group 'A' Departmental Promotions Committee (for considering promotion) 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman 2. Additional Director General/Deputy Director General (Personnel), Directorate General, Doordarshan—Member B. Group 'A' Departmental Promotions Committee (for considering confirmation) 1. Additional Director General, Doordarshan—Chairman 2. Deputy Director General (Personnel), Doordarshan—Member. 3. Director (Television)/Deputy Secretary (Television)—Member Note : The proceedings of the Departmental Promotions Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the Departmental Promotions Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making promotion or selecting an Officer for appointment on transfer /on deputation.

1	2	3	4	5	6	7	8
Cameraman Grade-I	52* (1987) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group, 'B' Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2375-75-3200-EB-100-3500.	Selection	Not applicable	No	Not applicable

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	By promotion	PROMOTION: Cameraman Grade-II with 5 years regular service in the grade. NOTE: The continuous service rendered as Cameraman Grade-II on contract basis immediately proceeding the conversion of the grade into civil post will be taken into account for calculation of the service as Cameraman Grade-II	Group 'B' Departmental Promotions Committee (for considering promotion) 1. Additional Director General, Doordarshan —Chairman 2. Deputy Director General (Personnel), Doordarshan—Member 3. Controller of Programmes, Doordarshan —Member Group 'B' Departmental Promotions Committee (for considering confirmation) 1. Deputy Director General (Personnel), Doordarshan—Chairman 2. Controller of Programmes, Doordarshan —Member. NOTE: The proceedings of the Departmental Promotions Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the Departmental Promotions Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	Consultation with the Commission not necessary.

1	2	3	4	5	6	7	8
Cameraman Grade II	295* (1987) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900	Not applicable	No	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in	Essential : (i) Diploma or degree in Cinematography from a recognised University or equivalent. NOTE 1 : Qualifications are relaxable at the direction of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient

1	2	3	4	5	6	7	8
						Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	number of candidates from the communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : 2 (Two), years experience in motion picture photography.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Group 'B' Departmental Promotions Committee (for confirmation) 1. Deputy Director General, Doordarshan——Chairman 2 Deputy Director General (Personnel) Doordarshan—Member 3. Controller of Programmes, Doordarshan—Member NOTE: The proceedings of the Departmental Promotions Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meetin g of the Departmental Promotions Committee to be presided over by the Chairman or Member of the Commission shall be held.	Consultation with the Commission necessary while making direct recruitment.

[No. 501/1/87-TV (A)]

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1987

सा.का.नि. 910.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दूरदर्शन महानिदेशालय में डाटा एंट्री आपरेटर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरदर्शन महानिदेशालय डाटा एंट्री आपरेटर भर्ती नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।